दिनांक 20 दिसम्बर, 1983

सं. ओ.वि./करनाल/61-83/65506.—चूंकि राज्यपाल, हरियाणा की राय है कि मै. एक्सियन सिविल न० 5, पानीपत, थर्मल पावर प्रोजैक्ट, एच०एस०ई०बी०, आसान (पानीपत) के श्रमिक श्री राम सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके लिखित मामले बाद के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं,

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे निर्दिष्ट विवादग्रस्त या इससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री राम सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि.एफ.डी./157-83/65512.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. फ्रीक इण्डिया लि० मथुरा रोड, फरीदाबाद के श्रमिक श्री गुगन सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्यागिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 54'15-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री गुगन सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./पानीपत/79-83/65519.—चूंकि राज्यपाल, हरियाणा की राय है कि मै० बसताड़ा कोपरेटिव क्रेडिट एण्ड सर्विस सोसायटी लि०, बसताड़ा, तहसील व जिला करनाल के श्रमिक श्री राम किशन तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद के न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरिदाबाद को नीचे निर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री राम किशन की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 23 दिसम्बर, 1983

सं. ओ.वि./सोनीपत/225-83/66362.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० चौधरी कैमीकल इन्डस्ट्रीज, 22/2, जी.टी. रोड, गांव व डा० बहालगढ़ (सोनीपत) के श्रमिक श्री हीरा सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.ओ. (ई) श्रम-70/13648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त

अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय-निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री हीरा सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

वी० एस० चौधरी,

उप सचिव हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग ।

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 20 दिसम्बर, 1983

सं. जो.वि./जी.जी.एन./99-83/65525.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैसर्ज मैक्स ई० प्रोडक्ट्स प्रा०लि०, गांव हरसारू गुड़गांवा के श्रमिकों तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल, हरियाणा इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) खंड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला (मामलें) है/हैं अथवा विवाद से संगत या सम्बन्धित मामला (मामलें) हैं/हैं न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

(1) क्या प्रबन्धों ने श्रमिकों को दिनांक 7-9-82 से 7-11-82 तक गैर-कानूनी ढंग से ले-आफ की है ? यदि ऐसा किया है तो जिन श्रमिकों को ले-आफ किया गया था वह किस राहत के हकदार हैं ?

(2) क्या श्रमिक हीट अलाऊंस के हकदार हैं, यदि हैं, तो किस विवरण के साथ ?

सं० जो.वि./आई.डी./अम्बाला/320-83/65532.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० नगर पालिका साढौरा (अम्बाला) के श्रमिकों तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल हरियाणा इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामलें, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला (मामले) है/ह अथवा विवाद से संगत या सम्बन्धित मामला(मामलें) है/हैं, न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या चुंगी पर कार्य करने वाले कर्मचारी वर्दी के हकदार हैं ? यदि हैं, तो किस विवरण के साथ ?

मुनीश गुप्ता,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग ।

11391CS (H)—Govt. Press, U.T., Chd.